मोती नगर स्थित कुष्ट रोगी बस्ती के रहवासियों को मिलने लगा धोलावाड़ का मीठा पानी

रतलाम। मोती नगर स्थित कुश्ट रोगी बस्ती के रहवासियों को धोलावाड़ का मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु 1 सितम्बर को निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये निर्देष के तहत निगम के जलप्रदाय विभाग द्वारा तत्परता से पाईप लाईन को दुरस्त कर 6 सितम्बर सोमवार से पेयजल सप्लाय पूर्व क्षेत्रिय पार्षद प्रतिनिधि राकेश मीणा, उपयंत्री सुहास पंडित व झोन प्रभारी नीरज यादव की उपस्थिति मे प्रारंभ किया गया।

मोती नगर स्थित कुष्ट रोगी बस्ती के रहवासियों को धोलावाड़ का मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु तत्परता से कार्य करते हुए मात्र 6 दिनों में पानी पेयजल सप्लाय प्रारंभ करने पर पूर्व क्षेत्रिय पार्शद प्रतिनिधि राकेश मीणा व रहवासियों द्वारा विधायक रतलाम शहर चेतन्य काश्यप, कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोतम, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया का आभार व्यक्त किया।

प्रसारण 8/9/21

गंदगी फैलाने वाले पर वसूला जुर्माना

रतलाम। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर ऋषभ फर्नीचर छत्रीपुल से 2000, अशोक लुनिया जावरा रोड, मुरारी महू रोड, भूपेंद्र, अमर फर्नीचर, भूरा छत्रीपुल से 500-500, न्यू स्टील, अंबिका ट्रेडर्स छत्रीपुल से 300-300, जितेंद्र सिंह, विजय भुट्टा बाजार से 250-250, सक्कबाई जावरा रोड, संजय, किशोर, रमेश, नितिन से 50-50 रुपये का जुर्माना वसूला गया। सभी को भविष्य में गंदगी नहीं करने की समझाइश दी गई। मंगलवार को चांदनी चौक, धानमंडी व गायत्री टाकीज क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई।

8/9/21

खुले में गंदगी करने पर 9 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरुषोतम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है. जिसके तहत 6 सितम्बर को 9 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर मुरली मच्छीवाला जावरा फाटक पर 1500, जुबेर, शर्माजी, नाथुलाल, प्रकाश महावीर कृषि उपज मण्डी, नवीन जावरा फाटक, महावीर महू रोड़, कैलाश शर्मा डाट की पुल पर 500-500 व दीपक राठौर जावरा फाटक पर 200 रूपए का स्पॉट फ़ाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

प्रसारण 8/9/21

नो पार्किंग में खड़े 4 वाहनों को जब्त कर वसूला जुर्माना

रतलाम। नगर में ऐसे नागरिक जो कि अपने वाहनों को नो पार्किंग में खड़ा कर यातायात व्यवस्था को बाधित करते है, उनके वाहन जब्त कर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार चलाई जा रही है जिसके तहत 6 सितम्बर सोमवार को नो पार्किंग में खड़े 4 वाहनों को नगर निगम की क्रेन से जब्त कर संबंधितो से जुर्माना वसूला गया। निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार चांदनी चौक व लोकेन्द्र टॉकिज क्षेत्र में नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर जितेन्द्र-माणक सिंह चितावद पर 500, दीपक-श्रेणिक, गौतम-ओमप्रकाश शर्मा अलकापुरी, रजत-प्रकाशचन्द्र पर 200-200 रूपये का जुर्माना किया गया।

प्रसारण 8/9/21

देश में कोरोना टीके 70 करोड़ पार... यूं बढ़ रही रफ्तार

10 करोड़ टीके 14 दिन में, यानी 71.4 लाख रोज

देश की 57.5% वयस्क आबादी को सिंगल और 17.6% को दोनों डोज लग चुकी हैं

दिवाली तक और 50 करोड़ टीके; 100% वयस्कों को एक डोज संभव

- इस महीने के अंत तक जॉनसन एंड जॉनसन और जायकोव-डी के 3 करोड़ टीके उपलब्ध हो सकते हैं

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

देश में त्योहारी सीजन शुरू होने से ठीक पहले टीकाकरण की रफ्तार बढ़ गई है। मंगलवार को 70 करोड़ टीके पूरे हुए। इनमें से 10 करोड़ पिछले सिर्फ 14 दिन में लगे। खास बात यह है कि दिवाली तक देश में 50 करोड़ टीके और बनेंगे। 5 करोड़ टीके राज्यों के पास बचे हुए हैं। यानी दिवाली तक 55 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे। इनमें से 40 करोड़ टीके अगर नए लोगों को लगे तो देश की 100% वयस्क आबादी सिंगल डोज से कवर हो सकती है। क्योंकि, अब तक 54 करोड़ लोगों को सिंगल डोज लग चुकी है। आधार डेटा के मुताबिक, देश में 18 साल से ज्यादा उम्र की आबादी 94 करोड़ है। यानी, अभी 40 करोड़ लोग बचे हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों ने बताया सितंबर-अक्टूबर में करीब 50 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे। इनमें 40 करोड़ कोविशील्ड, 7 करोड़ कोवैक्सीन, 2 करोड़ जॉनसन एंड जॉनसन और करीब 1 करोड़ जायकोव-डी होंगे।

अभी तक उपलब्ध दुनियाभर की स्टडी रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिंगल डोज लगने से संक्रमण की आशंका घटती है। संक्रमण हो भी जाए तो अस्पताल की नौबत कम ही पड़ती है। इसलिए कोरोना से लड़ाई में सिंगल डोज भी बेहद अहम है।

दिसंबर तक देश के सभी वयस्कों को दोनों डोज सुनिश्चित करने हैं तो अब रोज औसतन 1.02 करोड़ टीके लगाने होंगे

देश में पिछले 14 दिन में रोज लगने वाले टीकों का औसत 71 लाख से थोड़ा अधिक रहा। इसी रफ्तार से चलेंगे तो इस साल के अंत तक 94 करोड़ वयस्क आबादी को दोनों डोज नहीं लग पाएंगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब रोज औसतन 1.02 करोड़ टीके लगाने होंगे, जो अगले दो महीने तक संभव नहीं है। क्योंकि सितंबर-अक्टूबर में देश में कुल 50 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार का मानना है कि नवंबर-दिसंबर में देश में टीकों का उत्पादन दोगुना हो जाएगा। ऐसा हुआ तो दिसंबर तक लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

अलर्ट... मुंबई में रोज मिलने वाले मरीज दोगुने हुए, केरल के बाहर किसी राज्य में 5 माह बाद ऐसी ग्रोथ

मुंबई में रोज मिलने वाले मरीज चार हफ्ते से बढ़ रहे हैं। 15 अगस्त तक रोज 250 मरीज मिल रहे थे, बीते सोमवार को 495 मिले। इससे पहले मुंबई में यह ट्रेंड मार्च में दिखा था। उसके बाद दूसरी लहर आई थी। मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि तीसरी लहर आ चुकी है। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि तीसरी लहर नहीं आई है।

द. भास्कर 8/9/21

प्रतिबंधात्मक आदेश 30 सितंबर तक

रतलाम ● कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आगामी 30 सितम्बर की प्रात: 6 बजे की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण रतलाम जिले में रात्रि 11 से प्रात: 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज खोले जाने के संबंध में पूर्व में जारी आदेश में प्रदत्त दिशा-निर्देश यथावत प्रभावशील रहेंगे। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा।

स्वदेश 8/9/21

कार्यप्रणाली में सुधार करें, सक्रियता से करें काम,कलेक्टर ने दिए खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों को निर्देश

रतलाम । आप लोगों का जिले में काम कुछ नजर नहीं आ रहा है। रक्षाबंधन के दौरान भी नमूने लेने के लिए कुछ विशेष कार्य नहीं किया गया। अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें, सक्रियता से कार्य करें। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के खाद्य एवं औषधि प्रशासन निरीक्षकों को दिए। कलेक्टर ने अन्य विभागों की भी समीक्षा की। आमजन के कार्य सक्रियता के साथ करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षीसिंह, जिला वन मंडलाधिकारी श्री डूडवे, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम श्री एम.एल. आर्य, श्री अभिषेक गहलोत, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए कि वे खाद्य सामग्री के नमूने लेने के कार्य में तेजी लाएं।

कलेक्टर द्वारा इस सप्ताह भी समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाने की सघन समीक्षा की गई। रतलाम शहर में धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त की। एसडीएम तथा निगमायुक्त को तेजी लाने के निर्देश दिए। जनपद पंचायतों में प्रतिदिन 1000 कार्ड तथा नगरीय निकायों में प्रतिदिन 500 कार्ड बनाने के निर्देश दिए। जिला चिकित्सालय सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने बताया कि चिकित्सालय की ओपीडी में 162 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। पात्र हितग्राहियों के आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने से आधार लाकर कार्ड बनवाने हेतु कहा गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ओपीडी में आयुष्मान कार्ड बनाने की सूचना देने वाला बोर्ड लगाएं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा कलेक्टर द्वारा की गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विद्युत वितरण कंपनी को लंबित शिकायतों का निराकरण कर 90-90 अंक लाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार राजस्व तथा खाद्य विभाग को 75-75 अंक लाने के निर्देश दिए। सीईओ जिला पंचायत को 85 अंक लाने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि जिले के किसी भी विभाग की रैंकिंग 20 से नीचे नहीं हो।

7 सितंबर को जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव आयोजित किया जाएगा। आयोजन तैयारियों के संबंध में कलेक्टर द्वारा सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया। जनप्रतिनिधियों, सतर्कता समिति के सदस्यों, आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों को बुलाकर उपभोक्ताओं को राशन वितरण कराया जाना है। यह सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम 25 प्रतिशत उपभोक्ताओं को उत्सव कार्यक्रम में ही राशन का वितरण हो जाए। जिले में कराए गए वृक्षारोपण की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि नगरीय निकायों में 28785 पौधों का रोपण किया गया है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध बैंकों में प्रस्तुत तथा स्वीकृत प्रकरणों की समीक्षा की गई।

स्वदेश 8/9/21

खाद्य सामग्री के नमूने लेने के कार्य में तेजी लाएं -कलेक्टर

रतलाम ● स्वदेश समाचार

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए कि वे खाद्य सामग्री के नमूने लेने के कार्य में तेजी लाएं। कलेक्टर द्वारा इस सप्ताह भी समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाने की सघन समीक्षा की गई। रतलाम शहर में धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त की। एसडीएम तथा निगमायुक्त को तेजी लाने के निर्देश दिए। जनपद पंचायतों में प्रतिदिन 1000 कार्ड तथा नगरीय निकायों में प्रतिदिन 500 कार्ड बनाने के निर्देश दिए। जिला चिकित्सालय सिविल सर्जन डॉ. आनंद चंदेलकर ने बताया कि चिकित्सालय की ओपीडी में 162 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। पात्र हितग्राहियों के आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने से आधार लाकर कार्ड बनवाने हेतु कहा गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ओपीडी में आयुष्मान कार्ड बनाने की सूचना देने वाला बोर्ड लगाएं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा कलेक्टर द्वारा की गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विद्युत वितरण कंपनी को लंबित शिकायतों का निराकरण कर 90-90 अंक लाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार राजस्व तथा खाद्य विभाग को 75-75 अंक लाने के निर्देश दिए। सीईओ जिला पंचायत को 85 अंक लाने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि जिले के किसी भी विभाग की रैंकिंग 20 से नीचे नहीं हो।

स्वदेश

स्वदेश 8/9/21

कलेक्टर ने दिए खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों को निर्देश

कार्यप्रणाली में सुधार करें, सक्रियता से करें काम

रतलाम। आप लोगों का जिले में काम कुछ नजर नहीं आ रहा है। रक्षाबंधन के दौरान भी नमूने लेने के लिए कुछ विशेष कार्य नहीं किया गया। अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें, सक्रियता से कार्य करें। उक्त निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के खाद्य एवं औषधि प्रशासन निरीक्षकों को दिए। कलेक्टर ने अन्य विभागों की भी समीक्षा की।

आमजन के कार्य सक्रियता के साथ करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षीसिंह, जिला वन मंडलाधिकारी डूडवे, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम एम.एल.आर्य, अभिषेक गहलोत, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए कि वे खाद्य सामग्री के नमूने लेने के कार्य में तेजी लाएं। कलेक्टर द्वारा इस सप्ताह भी समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाने की सघन समीक्षा की गई। रतलाम शहर में धीमी प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। एसडीएम तथा निगमायुक्त को तेजी लाने के निर्देश दिए। जनपद पंचायतों में प्रतिदिन 1000 कार्ड तथा नगरीय निकायों में प्रतिदिन 500 कार्ड बनाने के निर्देश दिए। जिला चिकित्सालय सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने बताया कि चिकित्सालय की ओपीडी में 162 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। पात्र हितग्राहियों के आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने से आधार लाकर कार्ड बनवाने हेतु कहा गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ओपीडी में आयुष्मान कार्ड बनाने की सूचना देने वाला बोर्ड लगाएं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा कलेक्टर द्वारा की गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विद्युत वितरण कंपनी को लंबित शिकायतों का निराकरण कर 90-90 अंक लाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार राजस्व तथा खाद्य विभाग को 75-75 अंक लाने के निर्देश दिए। सीईओ जिला पंचायत को 85 अंक लाने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि जिले के किसी भी विभाग की रैंकिंग 20 से नीचे नहीं हो।

आचरण 17/9/21

कार्यप्रणाली में सुधार करें, सक्रियता से करें काम

सिंघम रिपोर्टर ❑ रतलाम

आप लोगों का जिले में काम कुछ नजर नहीं आ रहा है। रक्षाबंधन के दौरान भी नमूने लेने के लिए कुछ विशेष कार्य नहीं किया गया। अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें, सक्रियता से कार्य करें।

उक्त निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के खाद्य एवं औषधि प्रशासन निरीक्षकों को दिए। कलेक्टर ने अन्य विभागों की भी समीक्षा की। आमजन के कार्य सक्रियता के साथ करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षीसिंह, जिला वन मंडलाधिकारी डूडवे, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम एम.एल. आर्य, अभिषेक गहलोत, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टेर ने खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए कि वे खाद्य सामग्री के नमूने लेने के कार्य में तेजी लाएं।

कलेक्टर द्वारा इस सप्ताह भी समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाने की सघन समीक्षा की गई। रतलाम शहर में धीमी प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की।

पशु पालकों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस मिली जिलाधीश एवं निगमायुक्त से

प्रसारण न्यूज ◆ रतलाम

विगत दिनों निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा शहर के मध्य निजी भूमि पर बने हुए पशुपालन केंद्र (तबेले) को हटाने का काम शुरू किया गया। हटाने के पीछे निगम द्वारा यह तर्क दिया गया, किंतु गंदगी से शहर में डेंगू महामारी बीमारी फैल रही है, बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक कार्रवाई से पशुपालकों की कमर टूट गई हैं। इसी बात को लेकर आज पशु पालक जिला शहर कांग्रेस के नेतृत्व में जिलाधीश एवं निगम आयुक्त से मिले। एक ज्ञापन जिला प्रशासन, निगम प्रशासन के नाम पर उपायुक्त विकास सोलंकी को दिया गया।

ज्ञापन में मांग की गई है कि अचानक हुई इस कार्रवाई को रोका जाए और कम से कम एक वहां की समय अवधि स्थानांतरित करने के लिए दी जाए, क्योंकि दूध एक आवश्यक सेवा के अंतर्गत आता है एवं दुधारू पशुओं को स्थान पर इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता है, इसलिए समय देना आवश्यक है। साथ ही जिला प्रशासन से मांग की गई है कि शहर के बाहर कोई भी शासकीय भूमि निर्धारित मूल्य लेकर आवंटित की जाए, जिससे वह अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला सके।

इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, शांतिलाल वर्मा, रजनीकांत व्यास, रामचंद्र धाकड़ पूर्व पार्षद गणेश यादव, कमरुद्दीन कछवाहा, हितेश पेमाल के साथ बड़ी संख्या में पशुपालक उपस्थित थे।

प्रसारण

प्रसारण 8/9/21

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी : 30 सितम्बर तक लागु रहेगा नाईट कर्फ्यू, सार्वजानिक कार्यक्रम पर रोक

सिंधम रिपोर्टर ☐ रतलाम

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आगामी 30 सितम्बर की प्रातः 6.00 बजे की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है।

जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण रतलाम जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश में प्रदत्त दिशा-निर्देश यथावत प्रभावशील रहेंगे। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 6.00 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा।

समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शापिंग माल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमाघर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमाघर संचालक को कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेन्टर 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।

समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड 19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगे। जिले में

विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी।

रुल्स आफ सिक्स - अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। जहां पर स्पष्ट रुप से 6 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति दी जाती है, वहां यह छूट रहेगी। अन्तरराज्यीय तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। प्रतिमा/ताजिये (चेहल्लुम) के लिए पाण्डाल का आकार अधिकतम 30 गुणा 45 फीट नियत किया जाता है। झांकी निर्माताओं को आवश्यक रुप से यह सलाह दी जाती है कि ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं, दर्शकों की भीड एकत्र नहीं हो तथा सोश्यल डिस्टेंसिंग का पालन हो। इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी। मूर्ति/ताजिये (चेहल्लुम) का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति रहेगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

कोविड संक्रमण के दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक/सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी।

विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होगा। लाउड स्पीकर बजाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सभी सार्वजनिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 के प्रोटोकाल (फेस मास्क, सेनिटाईजर, दो गज की दूरी, गोले बनाना व रस्सी बांधना) का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी व संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया जा सकेगा। प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधकों द्वारा यह प्रयास किया जाए कि उनका स्वयं का तथा प्रतिष्ठान पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका हो। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

सिंधम 7/9/21

स्थानीय निकायों में लोगों को मीटरयुक्त नल कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करें

भोपाल, (प्रसं)। मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक निकुंज श्रीवास्तव ने मिनी स्मार्ट सिटी, जल प्रदाय और सीवरेज योजना के कार्यों की समीक्षा की। प्रबंध संचालक ने निर्देश दिए कि जिन निकायों में जल प्रदाय योजना और सीवरेज योजना का कार्य पूरा होने वाला है वहां अभियान चला कर हाउस होल्ड कनेक्शन दिए जाए। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि परियोजना तभी पूरी मानी जाएगी जब मीटरयुक्त नल कनेक्शन हो और पानी उचित दबाब के साथ चौबीस घंटे सातों दिन उपलब्ध रहे।

कंपनी के एमडी निकुंज श्रीवास्तव ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

प्रबंध संचालक ने कहा कि परियोजना क्रियान्वयन इकाई, स्थानीय निकाय और संविदाकार की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों को मीटरयुक्त नल कनेक्शन के फायदे बताएं। यह उदाहरण दिया जाना चाहिए कि जिस तरह बिजली जितनी उपयोग कि जाती है उतना ही बिजली का बिल आता है। उसी तरह मीटर युक्त कनेक्शन होने से पानी का बिल भी उतना ही आयेगा जितना पानी उपयोग किया गया है। इससे उचित दरों पर स्वच्छ और शोधित जल मिल सकेगा, जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी रहेगा। उन्होंने कहा कि मीटरयुक्त नल कनेक्शन के लिए नागरिकों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए मुहिम चलाई जाए। प्रबंध संचालक ने निर्देश दिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वितीए चरण की परियोजनाओं के वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आदि अन्य घटकों के लिए भू-आवंटन की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जाए।

योजना के कार्यों में विलंब होने पर जताई नाराजगी

एमडी ने डिंडौरी, अमरकंटक, मंडलेश्वर, नसरुल्लागंज और होशंगाबाद में चल रही सीवरेज परियोजनाओं तथा गंजबसौदा मिनी स्मार्ट सिटी योजना के कार्य पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि परियोजनाओं के पूरा होने में अनावश्यक विलंब होने पर प्रावधान अनुसार अनुबंध समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। प्रबंध संचालक ने कहा कि अंकुर अभियान के तहत इस सप्ताह अभियान चलाकर वृक्षारोपण करें और इसकी जानकारी वायुदूत एप पर निरंतर अद्यतन की जाए। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि रोड रेस्टोरेशन के बचे हुए कार्य बिना देरी के पूरा करें, स्थाई रोड रेस्टोरेशन से पहले हाईड्रोलिक टेस्टिंग का कार्य भी अनिवार्य रूप से पूरा करें। बैठक में कंपनी के प्रमुख अभियंता दीपक रत्नावत, मुख्य अभियंता विजय कुमार गुप्ता एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राज एक्सप्रेस 8/7/21

नगर निगम एक बार कार्रवाई कर चुप बैठ गया

दो मौत के बाद नोटिस, 15 हजार से अधिक जुर्माना, फिर भी जारी निर्माण

रतलाम. शहर के राममंदिर के सामने दो मंजिला आवास अवैध रुप से घड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। यहां पर एक बार शिकायत पर नगर निगम ने 15600 रुपए का दंड लगाया, इसके बाद अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई अब तक नहीं हुई। बड़ी बात यह है कि इसी आवास के निर्माण के दौरान 9 जून को दो श्रमिकों की करंट लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद निगम के अमले ने नोटिस देने की कार्रवाई की थी।

शहर के राममंदिर रोड पर दो मंजीला आवास का अवैध रुप से निर्माण कार्य जारी है। प्रमोद जेथवार नाम के व्यक्ति द्वारा इसका निर्माण करवाया जा रहा है। 9-10 जून को इस निर्माण के दौरान श्रमिक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए थे। इस दौरान रामरहीम नगर निवासी आनंद यादव पिता रूपसिंह यादव व इंद्रा नगर क्षेत्र के सतीश यादव पिता शंकरलाल

यादव गंभीर रुप से झूलसे व बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद नगर निगम के अधिकारी आनन फानन में पहुंचे थे व निर्माण कार्य से जुड़े दस्तावेज आदि मांगे गए। इस आवास निर्माण के लिए अब तक निगम के लोकनिर्माण विभाग ने निर्माण की मंजूरी नहीं दी है। इसके बाद भी निर्माण कार्य जारी है। हालांकि हादसे के बाद 15 हजार 600 रुपए का दंड जरूर लगाया गया। इसके बाद निगम भी इस निर्माण कार्य को भूल गया। पत्रिका

मंजूरी के लिए दस्तावेज लगाए गए है। अब तक मंजूरी नहीं मिली है। 15 हजार 600 रुपए का जुर्माना निगम के कर्मचारियों ने किया है। - **प्रमोद जेथवार**, निर्माणकर्ता

उपयंत्री को इस मामले में तुरंत निर्देश दिए जा रहे है। 48 घंटो में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

- सोमनाथ झारिया, आयुक्त नगर निगम

पत्रिका 8/9/21

त्यौहारी भीड़ रोकने के लिए 30 सितम्बर तक जिले में जारी रहेगा नाईट कर्फ्यू

रतलाम

आगामी दिनों में आयोजित होने वाले गणेशोत्सव व अन्य आयोजनों में भीड़ ना हो तथा कोरोना की तीसरी लहर से सभी बचे रहे इसको लेकर सावधानी अपनाई जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आगामी 30 सितम्बर की प्रात: 6 बजे की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है।

जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण रतलाम जिले में रात्रि 11 बजे से प्रात: 6.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश में प्रदत्त दिशा-निर्देश यथावत प्रभावशील रहेंगे। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा।

समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शापिंग माल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमाघर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमाघर संचालक को कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेन्टर 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड 19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। जिले में विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। इस हेतु सूची के साथ अनुमति के लिए आवेदन सात दिवस पूर्व देना होगा।

अग्निबाण 7

अग्निबाण 7/9/21

तीस सितंबर तक रात का कर्फ्यू, चल समारोह पर रोक

रतलाम, नप्र। पूरे जिले में 30 सितंबर तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे का नाईट कर्फ्यू रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने आगामी 30 सितम्बर तक की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जिसमें सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन मेले आदि जिनमें जनसमूह जमा होता है ऐसे आयोजनों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे लेकिन एक समय में छह से से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे साथ ही जो मौजूद रहेंगे उन पर कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए धार्मिक और सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकाले जाने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होगा। जारी आदेश कहा गया कि लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जारी गाईड लाईन का पालन किया जाना जरूरी होगा। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों, पाण्डालों में मास्क जरूरी होगा।

प्र.कि. 7

प्रभात किरण 7/9/21

पशुओं के बीच रजिस्ट्री : ये है 1 अरब रुपए से ज्यादा सालाना का राजस्व देने वाले विभाग के हाल

रतलाम | महलवाड़ा स्थित रजिस्ट्रार विभाग में मूलभूत सुविधा नहीं होने से रजिस्ट्री कराने आने वाले लोगों को पहले ही रोज परेशान होना पड़ रहा है। अब तो परिसर में पशु भी घूम रहे हैं। मंगलवार को परिसर में दिनभर पशुओं का जमावड़ा लगा रहा और रजिस्ट्री कराने आने वाले लोग दिनभर परेशान होते रहे। विभाग की ये स्थिति तब है। जब विभाग का सालाना राजस्व 1 अरब रुपए से ज्यादा है। 21/9/21

दै. भास्कर 8/9/21

धीरजशाह नगर में पाइप लाइन से मिलेगा मीठा पानी

धीरजशाह नगर में पेयजल लाइन जोड़ने का शुभारंभ करते हुए पूर्व निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल आदि।

रतलाम। धीरजशाह नगर में पेयजल आपूर्ति के लिए 10 इंची नई पाइपलाइन से सप्लाय दी जाएगी। विधायक चेतन्य काश्यप द्वारा स्वीकृत लाइन से सप्लाय जोड़ने का कार्य मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं पूर्व नगर निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल ने किया। इस दौरान दीनदयाल मंडल के अध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी, झुग्गी झोपड़ी के जिला संयोजक बंटी बोहरा, वार्ड 19 के संयोजक राजेंद्र चौहान, बूथ प्रभारी राम जोशी, नरेश परदेशी, दिनेश सोलंकी, राहुल पोरवाल, मनोहर लोदावरा, विशाल कुमावत, देवीलाल पांडे सहित कई कालोनीवासी मौजूद रहे। अब धीरजशाह नगर की गली नंबर 4, 5, 6, 7 में नागरिकों को पूरे प्रेशर से पानी मिलेगा।

नईदुनिया 8/9/21

प्रतिबंधात्मक आदेश

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आगामी 30 सितम्बर की प्रात: 6.00 बजे की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है।

जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण रतलाम जिले में रात्रि 11.00 बजे से प्रात: 6.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश में प्रदत्त दिशा-निर्देश यथावत प्रभावशील रहेंगे। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 6.00 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा।

समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शापिंग माल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमाघर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमाघर संचालक को कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेन्टर 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड 19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगे। जिले में विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। इस हेतु सूची के साथ अनुमति के लिए आवेदन सात दिवस पूर्व देना होगा। समस्त सहभागियों को दो दिवस पूर्व आरटीपीसीआर अथवा आरएटी करवाना अनिवार्य होगा। अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।

रुल्स आफ सिक्स - अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। जहां पर स्पष्ट रुप से 6 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति दी जाती हो, वहां यह छूट रहेगी। अन्तरराज्यीय तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। प्रतिमा/ताजिये (चेहल्लुम) के लिए पाण्डाल का आकार अधिकतम 30 गुणा 45 फीट नियत किया जाता है। झांकी निर्माताओं को आवश्यक रुप से यह सलाह दी जाती है कि ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं, दर्शकों की भीड एकत्र नहीं हो तथा सोशयल डिस्टेंसिंग का पालन हो। इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी। मूर्ति/ताजिये (चेहल्लुम) का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति रहेगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक/सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह की अनुमत्य नहीं होगा। लाउड स्पीकर बजाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तात्पर्यतम्य में झांकियों, पाण्डालों, विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु/दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर के प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी सार्वजनिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 के प्रोटोकाल (फेस मास्क, सेनिटाईजर, दो गज की दूरी, गोले बनाना व रस्सी बांधना) का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी व संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया जा सकेगा। प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका स्वयं का तथा प्रतिष्ठान पर कार्यरत समस्त कार्मिकों का वेक्सीनेशन हो चुका हो। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

स्वतंत्र पैगाम 8/9/21

गरीबों के राशन में सेंध लगाने वालों पर प्रकरण दर्ज

निरीक्षण में 4 लाख से अधिक की सामग्री में मिली थी अफरा-तफरी

● रतलाम

शहर की एक दुकान में राशन की अफरा-तफरी करने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जय भारत प्राथमिक उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण में 4 लाख 30 हजार रुपए की सामग्री की अफरा-तफरी पाई गई।

जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एच.चौधरी ने बताया कि जय भारत प्राथमिक उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कोड 1707013 द्वारा दो माह से खाद्यान्न वितरण नहीं करने संबंधी शिकायत पाई जाने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुश्री रश्मि खांबेटे द्वारा जांच की गई। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा जांच में पाया गया कि जुलाई 13 अगस्त 2021 के खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जाकर दुकान बंद रखी जाकर वितरण नहीं किया गया। विक्रेता द्वारा स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया जा रहा था। उचित मूल्य दुकान पर संग्रहित खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन में 111.50 क्विंटल गेहूं, 100.44 क्विंटल चावल, 4.19 क्विंटल नमक तथा 0.51 क्विंटल शक्कर कम होना पाई गई।

विक्रेता द्वारा केरोसिन थोक डीलरों को उनके द्वारा प्रदाय केरोसिन की राशि डीलर सोमचंद तुलसीदास केरोसिन थोक डीलर रतलाम को 7582 रुपए तथा एस.एम.हुसैन एंड कंपनी रतलाम को 49537 रुपए का भुगतान नहीं किया जाकर 1 वर्ष से केरोसिन का उठाव नहीं किया जाना पाया गया। दुकान में स्टॉक भाव सूची तथा निगरानी समिति सदस्यों की सूची प्रदर्शित नहीं किया जाना पाया गया। उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा जांच में सहयोग नहीं कर कथन पंचनामा आदि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। सुरेंद्र सोनकर विक्रेता जय भारत प्राथमिक उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कोड 170703 द्वारा प्रदत्त 4 लाख 30 हजार रुपए अनुमानित बाजार भाव मूल्य की अफरा-तफरी की गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदत्त खाद्यान्न आदि सामग्री का षडयंत्रपूर्वक अवैध रूप से विक्रय/व्यपवर्तनकिया गया। केरोसिन थोक डीलरों को प्रदान किए गए केरोसिन की राशि भुगतान नहीं किया जाकर मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना पाया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होने से सुरेंद्र सोनकर विक्रेता जय भारत प्राथमिक उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान 17070 13 के विरुद्ध पुलिस थाना दीनदयाल नगर रतलाम में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

अभिभाषण 7/9/21

उच्चतम न्यायालय में 14 सितंबर को प्रस्तावित है सुनवाई

पदोन्नति में आरक्षण पर फैसला अगले सप्ताह आने की उम्मीद

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। सवा पांच साल से प्रदेश में पदोन्नतियां बंद हैं। हजारों अधिकारी-कर्मचारी पात्रता के बाद भी पदोन्नत हुए बिना सेवानिवृत्त हो गए, पर अब जल्द ही पदोन्नति का सिलसिला फिर शुरू हो सकता है। अगले सप्ताह पदोन्नति में आरक्षण मामले में फैसला आ सकता है। उच्चतम न्यायालय में 14 सितंबर को सुनवाई प्रस्तावित है। सरकार की ओर से पदोन्नति में आरक्षण संबंधी सभी तथ्य प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

प्रदेश में पदोन्नति नियम 2002 के तहत अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति होती थी, पर 2016 में उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। दरअसल, अनारक्षित वर्ग की ओर से अनुसूचित जाति-जनजाति को दिए जा रहे आरक्षण की वजह से उनके अधिकार प्रभावित होने का मुद्दा उठाया गया था। उच्च न्यायालय ने पदोन्नति नियम में आरक्षण, बैकलाग के खाली पदों को कैरी-फारवर्ड करने और रोस्टर संबंधी प्रविधान को संविधान के विरुद्ध मानते हुए इन पर रोक लगा दी थी। फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय ने याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला होना बाकी है। राज्य सरकार के उच्चतम न्यायालय में विशेष अधिवक्ता मनोज गोरकेला ने बताया कि हमें पूरी उम्मीद है कि 14 सितंबर को अंतिम निर्णय आ जाएगा।

यथास्थिति बरकरार रखने के न्यायालय ने दिए हैं निर्देश

उच्चतम न्यायालय में प्रदेश सरकार की ओर से मामले को देख रहे अधिवक्ता मनोज गोरकेला का कहना है कि न्यायालय ने यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में पदोन्नति तभी हो सकती है, जब न्यायालय इसकी अनुमति दे। वहीं, पिछड़ा वर्ग के मामले में जिस तरह न्यायालय में लंबित मामलों को छोड़कर बाकी परीक्षाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है, वैसा ही प्रविधान कर्मचारी संगठन भी चाहते हैं। संयुक्त मोर्चा के अध्यक्षीय मंडल के सदस्य सुधीर नायक का कहना है कि सामान्य प्रक्रिया के तहत रास्ता निकालकर पदोन्नति देनी चाहिए।

नए नियम का मसौदा तैयार कर चुकी है सरकार

सरकार नए पदोन्नति नियम का मसौदा तैयार कर चुकी है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह डा.राजेश राजौरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाई गई थी। समिति ने सभी पहलुओं पर विचार करने और विधि विशेषज्ञों से अभिमत लेने के बाद नए नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है। अब इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है, जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव भी भेज दिया है।

कर्मचारियों में नाराजगी को देखते हुए ही शिवराज सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा कदम उठाते हुए सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी थी, जो अब भी जारी है।

नईदुनिया 8/9/21

हर ओर मरीजों की कतार • पर्ची बनाने से लेकर दवा लेने तक एक मरीज को लग रहे कम से कम डेढ़ से दो घंटे, डॉक्टर ने जांच लिखी तो आधा दिन खराब

वायरल और डेंगू का प्रकोप बढ़ा

जिला अस्पताल और बच्चों के अस्पताल के वार्ड फुल, 10 बेड के वार्ड में 19 रोगी भर्ती

भास्कर लाइव

भास्कर संवाददाता | रतलाम

लेरिया विभाग के आंकड़ों से परे मारे जिले में डेंगू और वायरल बड़े माने पर लोगों को बीमार कर रहा है। कीकत शहर के ही अस्पताल बयां र रहे हैं। आलम ऐसा है कि जिला स्पताल और बाल चिकित्सालय में रीज को भर्ती करने के लिए बेड ही ही बचे हैं। जिला अस्पताल में तो 0 बेड के वार्ड में 19 से 20 मरीज ी भर्ती किए जा रहे हैं।

एमसीएच में प्रवेश करते ही ॉक्टरों को दिखाने के लिए रोते-बिलखते बच्चों को लेकर परिजन तार में लगे दिख जाएंगे। यहां भी च्चों को भर्ती करने के लिए अब ड नहीं बचे हैं। इधर अस्पताल के ाल को देख रिनोवेशन का काम ल्द काम पूरा कर इसी सप्ताह ाल चिकित्सालय को शुरू करने ी जरूरत है। अधिकारी भी तैयारी जुट गए हैं। बाल चिकित्सालय रू होते ही सीधे 70 बेड बढ़ जाएंगे। पढ़ें... वायरल और डेंगू ने स तरह हमारे अस्पताल का हाल दल दिया... भास्कर लाइव।

इसी सप्ताह शुरू हो बाल चिकित्सालय तो 70 बेड बढ़ेंगे, बच्चे भी वायरल और डेंगू की जद में आ रहे

3 साल से बड़े बच्चों में बुखार-कफ के सबसे ज्यादा मामले, पीआईसीयू के बाहर ही रात गुजार रहे परिजन

पीआईसीयू के बाहर इस तरह बच्चों के परिजन रुके हुए।

स्थान : मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई (एमसीएच)
समय : सुबह 10.35 बजे
स्थिति : बाल चिकित्सालय का रिनोवेशन हो रहा है। ऐसे में अभी एमसीएच में बच्चों के वार्ड बनाए गए हैं लेकिन यहां हाल खराब है। एमसीएच में प्रवेश करते ही रोते-बिलखते बच्चे दिख जाएंगे। ओपीडी में बच्चों को लिए परिजन की कतार है, यहां पहली मंजिल पर पीआईसीयू में एक भी बेड खाली नहीं है। इसी के साथ बच्चों के सामान्य वार्ड भी फुल हैं। भर्ती हुए 9 साल के मोहम्मद अजहर अपने पिता के साथ थे। पिता के मुताबिक 4 सितंबर को तेज बुखार आया, एंटीजन जांच में डेंगू पॉजिटिव था। अभी इलाज चल रहा है। 8 साल के ऋतुराज ने बताया 5 सितंबर को तेज बुखार के साथ ही हाथ-पैर में दर्द हो रहा था। चक्कर आने लगे।

प्रवेश करते ही पर्ची काउंटर की लाइन बता रही हाल, ओपीडी में भी मरीजों को करना पड़ रहा लंबा इंतजार

जिला अस्पताल के पर्ची काउंटर पर लगी भीड़।

स्थान : जिला अस्पताल, समय : सुबह 11.20 बजे
स्थिति : अस्पताल का बड़ा परिसर अब छोटा पड़ चुका है। वायरल फीवर, प्लेटलेट्स कम होने की रिपोर्ट लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। सुबह पर्ची काउंटर पर भारी भीड़ थी। बुखार और बदन दर्द की दवा लेने पहुंचे राजेंद्र सिंह ने बताया पर्ची बनवाने में उन्हें आधे घंटे से ज्यादा का समय लगा। इसके बाद वे ओपीडी की लाइन में 20 मिनट से खड़े हैं। इधर, मेल मेडिकल वार्ड में बेड खाली नहीं हैं यहां तक की अब जमीन पर भी जगह नहीं बची है। 10 बेड के वार्ड में 19 मरीज थे, नर्स और उनके परिजन भी होने से वार्ड खचाखच हो चुके हैं। सुबह करीब 11.15 बजे डॉ. आनंद चंदेलकर और डॉ. जीवन चौहान राउंड पर थे वे भी मरीजों की भीड़ से बचते हुए घूम रहे थे। मेल मेडिकल वार्ड के खचाखच भरे एक कक्ष में तीन पंखे भी बंद थे जिसने परेशानी बढ़ा दी।

डॉक्टर बोले

बच्चों का रखें विशेष ख्याल, मच्छरों से बचाएं

- साफ-सफाई और खाने पीने पर विशेष ध्यान दें।
- मच्छरों से बचाव करें, विशेषकर शाम को यदि घूमने जाते हैं तो फूल आस्तीन के कपड़े पहनें।
- बच्चों को बुखार आता है तो उसे हल्के में ना लें। डॉक्टर से संपर्क करें।
- मौसम में बार-बार होने वाले बदलाव का भी असर हो रहा है।
- घरों में फालतू पानी इकट्ठा होने ना दें।

(जैसा बाल चिकित्सालय प्रभारी डॉ. आरसी डामोर ने भास्कर को बताया।)

पीआईसीयू और सामान्य वार्ड में भी जगह नहीं

बच्चों के सभी वार्ड फुल हो चुके है। पीआईसीयू और सामान्य वार्ड में भी जगह नहीं है। वायरल और डेंगू के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। बाल चिकित्सालय को जल्द शुरू करेंगे। वहां 70 बेड मिल जाएंगे।
आरसी डामोर,
प्रभारी बाल चिकित्सालय

दै. भास्कर 8/9/21

लापरवाही के कारण रतलाम में बढ़ा था कोरोना संक्रमण, अब पैर पसार रहा डेंगू

सरकारी अस्पताल में जमीन पर उपचार की मजबूरी

निजी डॉक्टर के यहां दो दिन की वेटिंग

पत्रिका बिग इश्यू

रतलाम. जिले में कोरोना संक्रमण के बाद अब डेंगू ने पैर जमा लिए हैं। लोगों को एक बार फिर से भगवान याद आने लगे हैं, क्योंकि उनकी नजरों के सामने फिर से कोरोना काल जैसा वह मंजर नजर आने लगा है जब अस्पतालों में बेड कम पड़ गए थे और उपचार के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा था। शहर में अपने निजी क्लीनिक पर देखने वाले डॉक्टरों के यहां भी मरीजों की वेटिंग दो दिन की हो गई है। अस्पताल में मरीजों की भीड़ का यह आलम बाल चिकित्सालय और एमसीएच परिसर में भी जारी है। शहर के तीनों प्रमुख शासकीय अस्पतालों में मरीज और उनके परिजनों की भीड़ नजर आ रही है।

जिला अस्पताल में सुबह 9 बजे से ऐसी लग रही कतार

वार्ड की शुरुआत की

डेंगू बढ़ रहा है यह सही है। मरीजों को राहत देते हुए मेडिकल कॉलेज में विशेष वार्ड की शुरुआत की है। **-ओपीएस भदोरिया,** प्रभारी मंत्री रतलाम

डेंगू को रोकने के लिए मच्छर को नियंत्रित करना जरूरी है। इसके लिए स्वच्छता अभियान में गति लाने को कहा गया है। इसके अलावा प्रतिदिन इसकी समीक्षा भी की जा रही है। **- चैतन्य काश्यप,** विधायक रतलाम शहर

पत्रिका

बड़ी चूक आ रही सामने

डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर से निगम और प्रशासन की बड़ी चूक सामने आ रही है। यही कारण है कि डेंगू को रोकने में भी जिम्मेदार नाकाम साबित हो रहे हैं। अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए हर कोई निचले अमले को जिम्मेदार ठहरा रहा है। हालत इस कदर बिगड़ चुके हैं कि मरीजों के लिए अस्पताल में जगह कम पड़ने लगी है।

एमसीएच

वार्ड की हालत

वर्तमान में जिला अस्पताल आने वाले मरीजों को उपचार के लिए भर्ती तो किया जा रहा है लेकिन उनके लिए बेड तक की व्यवस्था नहीं है जिसके चलते मरीजों को जमीन पर लेट उपचार कराना पड़ा रहा है और जिम्मेदार हैं कि बंद कमरों में बैठ अब भी कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। वही मरीज और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। जिला अस्पताल के साथ ही मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए तैयार किया गया वार्ड भी पूरी तरह से भरा चुका है।

बच्चे भी आ रहे चपेट में

डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों में बड़ों के साथ बच्चे ज्यादा चपेट में आ रहे हैं। वायरल का खतरा काफी तेजी से बढ़ रहा है, अब कई घरों से मरीज निकलकर सामने आ रहे है। सरकारी अस्पताल के साथ ही निजी अस्पताल और डॉक्टरों के क्लीनिक पर भी मरीजों की भीड़ लग रही है।

बाल चिकित्सालय के हाल

पत्रिका 8/9/21

सफाई को लेकर कर्मी और कमिश्नर आज चर्चा करेंगे

भास्कर संवाददाता | रतलाम

एकतरफा कार्रवाई को लेकर नाराज और आंदोलन पर उतारू नगर निगम संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति की लंबित समस्याओं का 8 सितंबर को निराकरण होगा। कमिश्नर सोमनाथ झारिया ने बुधवार शाम 5 बजे मिल बैठकर निराकरण का लिखित आश्वासन दिया है। इस पर समिति ने मंगलवार को सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला टाल दिया। बुधवार को नतीजा नहीं निकला को 9 सितंबर से सफाई संरक्षक सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। ऐसा हुआ तो सफाई व्यवस्था ठप हो जाएगी।

कर्मचारी नेता संजय पैमाल, राम कल्याणे, कमल भाटी, कमल सिंह, विजय खरे की मौजूदगी में सभी ने एकमत से फैसला किया है कि एकतरफा कार्रवाई नहीं रोकी गई और लंबित समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे।

खुले में गंदगी पर 15 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम | सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वाले 15 व्यक्तियों पर मंगलवार को जुर्माना लगाय गया। इनमें ऋषभ फर्नीचर छत्रीपुल पर 2000 रुपए, अशोक लुनिया जावरा रोड, मुरारी महू रोड, भूपेंद्र, अमर फर्नीचर, भूरा छत्रीपुल पर 500 रुपए, न्यू स्टील, अंबिका ट्रेडर्स छत्रीपुल पर 300 रुपए, जितेंद्र सिंह, विजय भुट्टा बाजार 250 रुपए, सक्कबाई जावरा रोड, संजय, किशोर, रमेश, नितिन पर 50 रुपए का स्पॉट फाइन लगाया गया।

दै. भास्कर 8/9/21

आज सफाई कर्मचारियों से होगी आयुक्त की चर्चा

रतलाम। सफाई कर्मचारियों की मांगों, सफाई में कमी को लेकर कर्मचारियों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर बुधवार को निगमायुक्त सोमनाथ झारिया और संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के बीच चर्चा होगी। मंगलवार को सभी कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया था, लेकिन सोमवार रात आयुक्त से बुधवार को चर्चा कर निराकरण का आश्वासन मिलने पर कर्मचारियों ने अवकाश नहीं लिया। मंगलवार दोपहर समिति के रामकल्याणे, संजय पैमाल, विजय खरे, कमल भाटी, कमल शिंदे, अमर चौहान की मौजूदगी में कर्मचारियों की बैठक निगम परिसर में हुई। बैठक में समिति पदाधिकारियों ने कहा कि सफाई करने के बाद किसी के द्वारा कचरा फैलाने पर कर्मचारी पर कार्रवाई करना गलत है। बरसाती और यूनिफार्म भी नहीं दी गई है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में हितेश पैमाल भी मौजूद रहे।

नईदुनिया 8/9/21

20 कचरा गाड़ियों की उम्र पूरी, कैसे हो सफाई

निगम के पास 82 कचरा संग्रहण वाहन, शहर में सफाई व्यवस्था के लिए संसाधनों की बेहतरी जरूरी

नगर निगम परिसर में खड़े पुराने कचरा संग्रहण वाहन। ●नईदुनिया

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर को अव्वल रखने के लिए नगर निगम के पास जो साधन हैं, वे संख्या के मान से तो ज्यादा दिखते हैं, लेकिन वास्तविकता में इनमें से कई उपयोग के लायक नहीं बचे हैं। शहर के 49 वार्डों में कचरा संग्रहण के लिए लगाए जाने वाले वाहनों की भी यही स्थिति है। अभी निगम के पास 82 वाहन हैं, इनमें से 20 वाहन ऐसे हैं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। ऐसे में नए अधिक क्षमता वाले वाहनों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है।

वर्ष 2020 में नगर निगम ने 1.90 करोड़ रुपये की लागत से कचरा संग्रहण के लिए 30 वाहन खरीदे थे। इसके बाद सभी वार्डों के लिए वाहन की व्यवस्था हो गई थी। अभी 49 में से 46 वार्डों में एक-एक जबकि वार्ड 7, 8, 9 का क्षेत्र बड़ा होने से वहां दो-दो वाहनों से कचरा संग्रहण किया जा रहा है। इसके अलावा नाइट शिफ्ट में 8 वाहन शहर में सार्वजनिक स्थलों से व एक वाहन डस्टबिनों में जमा होने वाला कचरा संग्रहित करता है। इस तरह से एक बार में 61 वाहन लगते हैं। प्रतिदिन दो से चार वाहनों में खराबी भी आ जाती है। पुराने कंडम हो चुके वाहनों के कारण कई बार वार्डों में वाहन भेजने का क्रम भी गड़बड़ा जाता है। इसका असर कचरा संग्रहण पर आता है।

जुलवानिया तक जाते हैं वाहन

शहर में 49 वार्डों व सार्वजनिक स्थलों से करीब 85 टन कचरा प्रतिदिन निकलता है। कचरा संग्रहण वाहन जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कचरा खाली करते हैं। इसमें चालकों व हेल्पर की ड्यूटी लगाई जाती है। इस व्यवस्था में कभी चालक तो कभी हेल्पर के नहीं आने से भी व्यवस्था बिगड़ जाती है।

निगमायुक्त सोमनाथ झारिया ने वार्डों से शत-प्रतिशत कचरा संग्रहण होने पर ही वाहन कर्मशाला में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

डा. देवीसिंह की गली में सड़क पर बह रही गंदगी

शहर में सार्वजनिक सुविधाघरों में गंदगी से आमजन परेशान हैं।

डालूमोदी बाजार स्थित डा. देवीसिंह की गली में तो सुविधाघर का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। शौचालय में गंदगी से उठने वाली दुर्गंध से आसपास के रहवासी परेशान हैं। क्षेत्रीय निवासी राजेश भंडारी ने बताया कि नगर निगम में कई बार शिकायत की, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है। गंदगी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। सुविधाघर के पास जमा गंदे पानी में मच्छर पनप रहे हैं। इस कारण नागरिकों को हमेशा परेशानी आती है।

मरम्मत के लिए एजेंसी तय होना चाहिए

निगम के वाहनों की मरम्मत का रिकार्ड वाहनवार आनलाइन रखना चाहिए। इससे पता लग सकेगा कि किस वाहन पर सालभर में कितना खर्च आ रहा है। कर्मशाला में मरम्मत के लिए एजेंसी नियुक्त कर काम लेने से वाहनों को जल्दी सुधारा जा सकेगा। हर पांच वार्डों पर एक अतिरिक्त कचरा संग्रहण वाहन होना चाहिए। इससे व्यवस्था बेहतर हो सकेगी।

- शैलेंद्र डागा, पूर्व महापौर

नईदुनिया 8/9/21

वैक्सीनेशन पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त

रतलाम (आरएनएन)। राज्य शासन के निर्देशानुसार 12 सितम्बर तक रतलाम जिले की सम्पूर्ण पात्र आबादी का शत-प्रतिशत प्रथम डोज का वैक्सीनेशन किया जाना है। इस हेतु समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को पूर्व से जिम्मेदारी दी गई है तथा संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सहायक नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है।

कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने उक्त कार्य के सतत् पर्यवेक्षण हेतु वैक्सीनेशन पर्यवेक्षण अधिकारी भी नियुक्त किए है। इसके तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षी सिंह सैलाना, बाजना तथा रतलाम ग्रामीण एवं अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिडे रतलाम, जावरा, पिपलौदा तथा आलोट में वैक्सीनेशन का कार्य दी गई समय सीमा में सम्पन्न करवाएंगे।

वैक्सीनेशन पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त

रतलाम। राज्य शासन के निर्देशानुसार 12 सितम्बर तक रतलाम जिले की सम्पूर्ण पात्र आबादी का शत-प्रतिशत प्रथम डोज का वैक्सीनेशन किया जाना है। इस हेतु समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को पूर्व से जिम्मेदारी दी गई है तथा संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सहायक नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने उक्त कार्य के सतत् पर्यवेक्षण हेतु वैक्सीनेशन पर्यवेक्षण अधिकारी भी नियुक्त किए है। इसके तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षी सिंह सैलाना, बाजना तथा रतलाम ग्रामीण एवं अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिडे रतलाम, जावरा, पिपलौदा तथा आलोट में वैक्सीनेशन का कार्य दी गई समय सीमा में सम्पन्न करवाएंगे।

वैक्सीनेशन के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त

रतलाम. शासन के निर्देशानुसार 12 सितम्बर तक रतलाम जिले की सम्पूर्ण पात्र आबादी का शत-प्रतिशत प्रथम डोज का वैक्सीनेशन किया जाना है। इसके लिए समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को पूर्व से जिम्मेदारी दी गई है तथा संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सहायक नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। कलेक्टर ने उक्त कार्य के सतत् पर्यवेक्षण के लिए वैक्सीनेशन पर्यवेक्षण अधिकारी भी नियुक्त किए है। इसके तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मीनाक्षी सिंह सैलाना, बाजना तथा रतलाम ग्रामीण एवं अपर कलेक्टर जमुना भिडे रतलाम, जावरा, पिपलौदा तथा आलोट

उचित मूल्य दुकान में चार लाख से ज्यादा के राशन की अफरा-तफरी

विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज

सिंधम रिपोर्टर ☐ रतलाम

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर रतलाम शहर की एक दुकान में राशन की अफरा-तफरी पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जय भारत प्राथमिक उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण में 4 लाख 30 हजार रुपए की सामग्री की अफरा-तफरी पाई गई।

जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एच. चौधरी ने बताया कि जय भारत प्राथमिक उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कोड 1707013 द्वारा दो माह से खाद्यान्न वितरण नहीं करने संबंधी शिकायत पाई जाने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुश्री रश्मि खाबेटे द्वारा जांच की गई।

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा जांच में पाया गया कि जुलाई 13 अगस्त 2021 के खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जाकर दुकान बंद रखी जाकर वितरण नहीं किया गया। विक्रेता द्वारा स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया जा रहा था। उचित मूल्य दुकान पर संग्रहित खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन में 111.50 क्विंटल गेहूं, 100.44 क्विंटल चावल, 4.19 क्विंटल नमक तथा 0.51 क्विंटल शक्कर कम होना पाई गई। विक्रेता द्वारा केरोसिन थोक डीलरों को उनके द्वारा प्रदाय केरोसिन की राशि डीलर सोमचंद तुलसीदास केरोसिन थोक डीलर रतलाम को 7582 रुपए तथा एस.एम. हुसैन एंड कंपनी रतलाम को 49537 रुपए का भुगतान नहीं किया जाकर 1 वर्ष से केरोसिन का उठाव नहीं किया जाना पाया गया। दुकान में स्टॉक भाव सूची तथा निगरानी समिति सदस्यों की सूची प्रदर्शित नहीं किया जाना पाया गया। उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा जांच में सहयोग नहीं कर कथन पंचनामा आदि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

सुरेंद्र सोनकर विक्रेता जय भारत प्राथमिक उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कोड 170703 द्वारा प्रदत्त 4 लाख 30 हजार रुपए अनुमानित बाजार भाव मूल्य की अफरा-तफरी की गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदत्त खाद्यान्न आदि सामग्री का षडयंत्रपूर्वक अवैध रूप से विक्रय/व्यपवर्तन किया गया। केरोसिन थोक डीलरों को प्रदान किए गए केरोसिन की राशि भुगतान नहीं किया जाकर मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना पाया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होने से सुरेंद्र सोनकर विक्रेता जय भारत प्राथमिक उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान 17070 13 के विरुद्ध पुलिस थाना दीनदयाल नगर रतलाम में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

सिंधम 7/9/21

'आयुष्मान कार्ड तेजी से बनाएं'

रतलाम, नप्र। आप लोगों का जिले में काम कुछ नजर नहीं आ रहा है। रक्षाबंधन के दौरान भी नमूने लेने के लिए कुछ खास खास नहीं किया गया। अपनी कार्यप्रणाली में सुधार कर सक्रियता से काम करें। ये निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के खाद्य एवं औषधि प्रशासन निरीक्षकों को दिए। कलेक्टर ने अन्य विभागों की भी समीक्षा कर आमजन के काम सक्रियता के साथ करने के निर्देश दिए।

आयुष्मान कार्ड बनाने की सघन समीक्षा कर शहर में धीमी प्रगति पर नाराज होकर एसडीएम तथा निगमायुक्त को तेजी लाने को कहा। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने बताया कि 7 सितंबर को जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव होगा जिसकी तैयारियों के संबंध में सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों, सतर्कता समिति के सदस्यों, आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों को बुलाकर कम से 25 प्रतिशत उपभोक्ताओं को राशन वितरण कराया जाना तय करें।

प्रभातकिरण 7/9/21

बकाया वसूली को लेकर अब होगी सख्ती

भोपाल (नवदुनिया स्टेट ब्यूरो)। शिवराज सरकार अब प्रदेश में बकाया राशि वसूली के लिए सख्ती करेगी। इसके लिए सभी बकायादारों को नोटिस दिए जाएंगे। वसूली के लिए एकमुश्त समझौता भी किया जा सकता है। वहीं लोक निर्माण विभाग और संपदा संचालनालय भी आवास किराया वसूली करने जा रहा है। इसके लिए कुछ नोटिस बकायादारों को जारी भी किए जा चुके हैं।

बता दें, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस वसूली बढ़ाने को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। प्रदेश में राजस्व वसूली बढ़ाने पर सरकार लगातार जोर दे रही है। मुख्यमंत्री स्वयं प्रतिमाह राजस्व की स्थिति को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। गत दिवस उन्होंने राजस्व संग्रहण की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की।

तैयारी

- **मुख्य सचिव बैठक लेकर सभी विभागों को दे चुके हैं निर्देश**
- **आइएएस व राप्रसे अधिकारी संघों पर भी लाखों रुपये का किराया बाकी**

बड़े बकायादारों को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू: राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए विभागों ने बड़े बकायादारों को नोटिस देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। लोक निर्माण विभाग और संपदा संचालनालय ने भी ऐसे अधिकारियों सहित अन्य व्यक्तियों की सूची तैयार की है, जिन पर लाखों रुपये का किराया बाकी है। कुछ व्यक्तियों को नोटिस भी संपदा संचालनालय ने भेजे हैं। वहीं, कुछ अधिकारी भोपाल से अन्यत्र पदस्थ होने के बाद भी शासकीय आवास रखे हुए हैं। इन्हें भी नोटिस दिए जा रहे हैं। आइएएस अधिकारी और राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ पर भी लाखों रुपये आवास का किराया बाकी है।

नईदुनिया 8/9/21

समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न

कार्य प्रणाली में सुधार करें, सक्रियता से करे

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

आप लोगों का जिले में काम कुछ नजर नहीं आ रहा है। रक्षाबंधन के दौरान भी नमूने लेने के लिए कुछ विशेष कार्य नहीं किया गया। अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें, सक्रियता से कार्य करें। उक्त निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के खाद्य एवं औषधि प्रशासन निरीक्षकों को दिए। कलेक्टर ने अन्य विभागों की भी समीक्षा की। आमजन के कार्य सक्रियता के साथ करने के निर्देश दिए।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षीसिंह, जिला वन मंडलाधिकारी डूडवे, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम एम.एल. आर्य, अभिषेक गहलोत, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए कि वे खाद्य सामग्री के नमूने लेने के कार्य में तेजी लाएं।

कलेक्टर द्वारा इस सप्ताह भी समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाने की सघन समीक्षा की गई। रतलाम शहर में धीमी प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। एसडीएम तथा निगमायुक्त को तेजी लाने के निर्देश दिए। जनपद पंचायतों में

प्रतिदिन 1000 कार्ड तथा नगरीय निकायों में प्रतिदिन 500 कार्ड बनाने के निर्देश दिए। जिला चिकित्सालय सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने बताया कि चिकित्सालय की ओपीडी में 162 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। पात्र हितग्राहियों के आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने से आधार लाकर कार्ड बनवाने हेतु कहा गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ओपीडी में आयुष्मान कार्ड बनाने की सूचना देने वाला बोर्ड लगाएं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा कलेक्टर द्वारा की गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विद्युत वितरण कंपनी को लंबित शिकायतों का निराकरण कर 90-90 अंक लाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार राजस्व तथा खाद्य विभाग को 75-75 अंक लाने के निर्देश दिए। सीईओ जिला पंचायत को 85 अंक लाने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि जिले के किसी भी विभाग की रैंकिंग 20 से नीचे नहीं हो।

जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव आयोजित किया जाएगा। आयोजन

तैयारियों
एसडीए
जनप्रति
आपदा
उपभोक
यह सुनि
प्रतिशत
राशन व
वृक्षारोप
नगरीय
गया है।
निर्धारित
स्वीकृत

प्रसारण

प्रसारण 8/9/21

प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन का प्रश्न

प्लास्टिक के प्रबंधन को लेकर प्रयास तो कई हुए हैं, लेकिन प्लास्टिक द्वारा पैदा होने वाले पर्यावरण संकट की तुलना में ये प्रयास पर्याप्त साबित नहीं हो रहे। केंद्र और कई राज्य सरकारों ने सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने सहित प्लास्टिक प्रबंधन के नियमों को कड़ा करने में भी रुचि दिखाई है। देखना यह है कि प्लास्टिक कचरे के जगह-जगह लगे ढेर मानवता के लिए चुनौती बने रहते हैं।

अगर शहरी कचरे का निस्तारण सही तरीके से हो, तो यह काम आसान हो सकता है। अप्रैल, 2016 में जब भारत में शहरी कचरे के निस्तारण से संबंधित कानून बना था, तो उसमें यह भी प्रावधान था कि प्लास्टिक उत्पादक छह माह की अवधि में प्लास्टिक के पुनर्चक्रण से संबंधित संयंत्रों की भी स्थापना करेंगे। बहरहाल, अब तक ऐसा कितने उत्पादकों ने किया होगा, यह सब जानते हैं। फिर प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण में कुछ तकनीकी समस्याएं भी हैं। किसी चीज का बढ़ता उपयोग उसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। मगर अर्थशास्त्री ग्रेशम का यह नियम भी ध्यान रखना चाहिए कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। भारत में प्लास्टिक का उपयोग बेताहाशा बढ़ने के पहले सामाजिक व सामुदायिक अवसरों पर जिन बर्तनों का उपयोग किया जाता था, वे अपशिष्ट नियंत्रण की चिंता पैदा नहीं करते थे। केवल उनका प्रबंधन करना होता था। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है।

अनुमान के अनुसार हर साल 80 लाख टन हानिकारक प्लास्टिक समुद्र में फेक दिया जाता है, जो न केवल पारिस्थितिकी को परोक्ष रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि समुद्री जीव-जंतुओं के लिए भी जान का दुश्मन बन गया है। इसके अलावा प्लास्टिक से होने वाला 'माइक्रोस्कोपिक' प्रदूषण मिट्टी, हवा, पानी व भोजन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। लाने-ले जाने और पैकिंग में आसानी के कारण दुनिया भर में खाद्य पदार्थों को प्लास्टिक पैकिंग में देने की परंपरा बढ़ी है और यह पैकिंग उपयोगकर्ता के स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों से खिलवाड़ कर रही है। शायद यही कारण है कि अब विभिन्न देशों में इस आशय की मांग उठने लगी है कि अपने उत्पादों को प्लास्टिक पैकिंग में बेचने वाले उत्पादकों से उसका अतिरिक्त शुल्क वसूल किया जाए।

लगभग तैंतीस देशों में प्लास्टिक की विशिष्ट थैलियों पर प्रतिबंध है, पर प्रतिबंध के नियमों की पालना सुनिश्चित करने वाली एजेंसियों के ढुलमुल रवैए के कारण कानून अपना काम नहीं कर पा रहा है। फिर कुछ देशों में उत्पादकों ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के स्थान पर विशिष्ट प्रकार से बने प्लास्टिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस तरह वे कानून की पकड़ से तो बच गए हैं, प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर प्लास्टिक ही उपयोग कर रहे हैं। विकसित देशों में बुद्धिजीवियों के एक वर्ग ने कहा कि सामान्य प्लास्टिक के स्थान पर पेड़ों से तैयार का प्रबंधन कृत्रिम प्लास्टिक से भी अधिक दुरूह और हानिकारक हो सकता है। पर्यावरण के लिए इसके अपने खतरे हैं ही।

प्लास्टिक, उत्पादों को पानी और नमी से बचाता है, वह हल्का होता है, अधिक टिकाऊ और कई विकल्पों की तुलना में अधिक सस्ता होता है। शायद यही कारण है कि बुद्धिजीवियों का एक वर्ग कहता है कि प्लास्टिक स्वयं में एक समस्या नहीं है, बल्कि उसका दुरुपयोग और उसके यथोचित प्रबंधन का अभाव समस्या है। अगर आबादी द्वारा फेंके जाने वाले कचरे का निस्तारण सही तरीके से हो और पुनर्चक्रण के लिए उपयोगी प्लास्टिक को छांट कर उसे उचित क्षेत्र तक पहुंचा दिया जाए तो प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन की चिंता से कुछ हद तक पार पाया जा सकता है। मगर दुनिया इस मामले में

पॉलीथिलीन टेरेफ्थलेट नामक प्लास्टिक का उपयोग शीतल पेय बनाने वाली बोतलों के निर्माण में होता है और भारत में इन बोतलों के प्लास्टिक को नब्बे प्रतिशत की दर से पुनर्चक्रीकरण के माध्यम से काम में ले लिया जाता है, जबकि जापान जैसे देशों में यह दर 72.1 प्रतिशत, यूरोप में 48.3 प्रतिशत है। दरअसल, भारत में कचरा बीनने वालों को इन बोतलों की छंटाई से कुछ आय हो जाती है और वे गली गली में घूम कर शीतल पेय की बोतलों को एकत्र कर लेते हैं। वहां से ये बोतलें एक असंगठित तंत्र द्वारा पुनर्चक्रीकरण के लिए पहुंच जाती हैं। इनसे पालिएस्टर और डेनिम जैसे उत्पाद बनते हैं। इस दृष्टि से, साधारण से दिखने वाले कचरा बीनने वाले और कबाड़ का व्यापार करने वाले,

भारत में शहरी कचरे के निस्तारण से संबंधित कानून बना था, तो उसमें यह भी प्रावधान था कि प्लास्टिक उत्पादक 6 माह की अवधि में प्लास्टिक के पुनर्चक्रण से संबंधित संयंत्रों की भी स्थापना करेंगे। बहरहाल, अब तक ऐसा कितने उत्पादकों ने किया होगा, सब जानते हैं। फिर प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण में कुछ तकनीकी समस्याएं भी हैं। मसलन, प्लास्टिक पैकिंग में काम आने वाले तरह तरह के प्लास्टिक। इन विविध किस्म के प्लास्टिक का उपयोग उत्पाद को अलग स्तर पर सुरक्षा देने के लिए होता है। इन सबका निस्तारण एक ही तरीके से नहीं हो सकता। थर्मोप्लास्ट को पिघला कर उसकी विशेष किस्म की ईंटें बनाई जाती हैं, जिनका उपयोग सीमेंट संयंत्रों में ईंधन के तौर पर होता है। लेकिन प्लास्टिक का जलाया जाना तो हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करेगा ही।

इन ईंटों के उपयोग को अगर हानिरहित करना हो, तो उनका उपयोग एक हजार डिग्री सेल्सियस तापमान पर करना होता है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में ही 2017 में 65 लाख टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन हुआ। समुचित चेतना, दृढ़ इच्छशक्ति और पर्याप्त साधनों के बिना इतनी बड़ी मात्रा में इस प्लास्टिक का निस्तारण संभव नहीं है। मदुरै के आर. वासुदेवन ने इस संबंध में देश और दुनिया को एक राह दिखाई है। 2001 में उन्होंने प्लास्टिक कचरे की मदद से सड़कें बनाने की एक परियोजना पर काम शुरू किया और 2006 में अपने इस काम का पेटेंट भी प्राप्त कर लिया। आर. वासुदेवन की सड़कें एक साथ दो समस्याओं का समाधान करती हैं। वे न केवल प्रबंधन का रास्ता बताती हैं, बल्कि सड़कों पर बार-बार पड़ने वाले गड्ढों की समस्या से भी आदमी और तंत्र को निजात दिलाती हैं, क्योंकि ये सड़कें जल प्रतिरोधक होती हैं और बनाए जाने के बरसों बाद भी गड्ढे नहीं पड़ते।

इस दृष्टि से वे परंपरागत कोलतार या गिट्टी-सीमेंट से बनी सड़कों की तुलना में बहुत मजबूत पाई गई हैं। निकटवर्ती देश भूटान में भी उनकी तकनीक का उपयोग कर अनेक सड़कों का निर्माण कराया गया है और इन सड़कों को गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत टिकाऊ पाया गया है। मगर बार-बार सड़क निर्माण और सड़क मरम्मत के काम पाने वाले ठेकेदार और उनके हितैषी अफसरों के अड़ंगे के कारण यह प्रयोग अब भी देश में बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाया है। पर यह प्रयोग देश और दुनिया को प्लास्टिक

अन्न उत्सव हुआ आयोजित

रतलाम @ पत्रिका. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को खाद्यान्न वितरण के लिए मंगलवार को जिले में भी अन्नोत्सव आयोजित हुआ। इस दौरान जिले की 522 शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर हितग्राहियों को राशन वितरण किया गया। इस अवसर पर नोडल अधिकारी के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सतर्कता समिति के सदस्य तथा आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एच. चौधरी ने बताया कि अन्न उत्सव के आयोजन में सभी पात्र परिवारों को माह सितंबर के नियमित 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य एक रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किया गया तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य निशुल्क वितरण किया गया। इसके अलावा जिन व्यक्तियों द्वारा विगत माह राशन बैग प्राप्त नहीं किए गए थे, उनको राशन बैग वितरित किए गए।

पत्रिका 8/9/21

पशु पालकों की समस्या को लेकर कांग्रेसियों ने दिया ज्ञापन

तबेले तोड़ दिए तो पशु कहां ले जाएंगे, जमीन दो

रतलाम। विगत दिनों निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा शहर के मध्य निजी भूमि पर बने हुए पशुपालन केंद्र (तबेले) को हटाने का काम शुरू किया गया। हटाने के पीछे निगम द्वारा यह तर्क दिया गया किंतु तबेलों की गंदगी से शहर में डेंगू फैल रहा है। बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक कार्रवाई से पशुपालकों की कमर टूट गई है। इसी बात को लेकर सोमवार को पशु पालक जिला शहर कांग्रेस के नेतृत्व में कलेक्टर एवं निगम आयुक्त से मिले और ज्ञापन जिला प्रशासन, निगम प्रशासन के नाम उपायुक्त विकास सोलंकी को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि अचानक हुई इस कार्रवाई को रोका जाए और कम से कम एक निश्चित समय अवधि दी जाए। ताकि उचित इंतजाम किया जा सके। इसके साथ ही जिला प्रशासन से मांग की गई है कि शहर के बाहर कोई भी शासकीय भूमि निर्धारित मूल्य लेकर आवंटित की जाए जिससे वह अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला सके। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, शांतिलाल वर्मा, रजनीकांत व्यास, रामचंद्र धाकड़ पूर्व पार्षद गणेश यादव, कमरुद्दीन कछवाहा, हितेश पेमाल के साथ बड़ी संख्या में पशुपालक उपस्थित थे।

अभिषाण 7/9/21

तबेले हटाने से पहले समय दें-कांग्रेस

रतलाम, नप्र। डेंगू का हवाला देकर शहर के बीच निजी जमीन पर बने तबेलों को हटाने का काम शुरू किया। तबेले हटाने के लिए आनन-फानन में काम करना ठीक नहीं है, इसके लिए पशु पालकों को समय दिए जाने के साथ ही शहर के बाहर सरकारी जमीन तय मूल्य पर दी जाना चाहिए।

पशु पालकों की समस्याओं को लेकर शहर कांग्रेस ने यह मांग जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के नाम ज्ञापन में उठाई है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेन्द्र कटारिया की अगुवाई में कल कांग्रेस ने पशु पालकों के साथ ज्ञापन उपायुक्त विकास सोलंकी को दिया। कहा गया कि पिछले दिनों निगम एवं जिला प्रशासन ने शहर के बीच निजी भूमि पर बने हुए पशुपालन केन्द्र (तबेले) को हटाने का काम शुरू किया, इन्हें हटाने के पीछे निगम ने तर्क दिया गया कि गंदगी से शहर में डेंगू की बीमारी फैल रही है लेकिन अचानक हुई इस कार्रवाई से पशुपालकों की कमर टूट गई है।

कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्म से मांग की गई कि अचानक हुई इस कार्रवाई को रोका जाकर पशु पालन की जगह को अन्य जगह ले जाए जाने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। दुधारू पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता है इसलिए पशुपालकों को समय देना जरूरी है। साथ ही जिला प्रशासन से मांग की गई है कि शहर के बाहर कोई भी सरकारी जमीन तय मूल्य लेकर पशु पालकों को आवंटित की जाए ताकि वे अपना व्यापार सुचारू रूप से चला सके। ज्ञापन देने के दौरान शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेन्द्र कटारिया, शांतिलाल वर्मा, रजनीकांत व्यास, रामचन्द्र धाकड़, गणेश यादव, कमरुद्दीन कचवाय, हितेश पेमाल के साथ बड़ी संख्या में पशुपालक मौजूद रहे।

प्रभातकिरण 7/9/21

फिर मिले डेंगू के छह मरीज, 11 घरों में लार्वा मिला

सिंधम रिपोर्टर ❑ रतलाम

नगर निगम, मलेरिया विभाग द्वारा डेंगू की रोकथाम के दावों के बीच नए मरीज मिलने का दौर जारी है। जिला अस्पताल की लैब से सोमवार को मिली एलाइजा टेस्ट की 34 रिपोर्ट में छह डेंगू के नए मरीज मिले, जिनमें एक बदनावर का भी है। 210 घरों के सर्वे में सामान्य बुखार के भी छह मरीज मिले हैं, जिनका उपचार पहले से निजी अस्पतालों में चल रहा है। जिले में अब इस डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़ते हुए 213 पहुंच गया है। इनमें शहर के 150 से अधिक मरीज शामिल हैं। सर्वे में 11 घरों में लार्वा मिला, जिसे नष्ट कराया गया।

सोमवार को शहर डेंगू की रोकथाम एवं कोविड वैक्सीनेशन का विशेष सर्वे भी चालू हो गया है। दस सितंबर तक 288 दल सर्वे करेंगे और सूची तैयार करेंगे। निर्धारित फार्मेट के साथ सर्वे चालू किया गया है, जिसकी मानीटरिंग कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम करेंगे। स्वास्थ्य विभाग, महिला एव बाल विकास, नगर निगम के कर्मचारियो को सर्वे में लगाया गया है। सर्वे में वैक्सीनेशन से छूटे हुए लोगों की सूची बनेगी। साथ फागिंग अभियान भी चल रहा है। एलाइजा टेस्ट के अलावा किट जांच में लगातार नए मरीज मिल रहे हैं, जिनका उपचार निजी अस्पतालों में हो रहा है। जिला मलेरिया अधिकारी डा.प्रमोद प्रजापति ने बताया कि डेंगू इस बार तेजी से बढ़ा है। मच्छरों से बचाव के उपाय सभी अपनाएं तभी हम डेंगू पर नियत्रंण कर पाएंगे। सरकारी स्तर से नियंत्रण के प्रयास हो रहे हैं, लकिन लोगों को भी सर्तक रहना है।

जिला अस्पताल में लगातार मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। हर दिन दो हजार तक ओपीडी चल रही है, जिसमें सर्वाधिक मरीजों की लैब में विभिन्ना तरह की जांच हो रही है। जांच के लिए लंबी कतार लग रही है। अब हालत ऐसी है कि रिपोर्ट मिलने में दो से तीन दिन का समय लग रहा है। इस बीच मरीजों की हालत और बिगड़ रही है। सिविल सर्जन डा. आनंद चंदेलकर ने बताया कि इस समय मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ने से लैब में भी कतार लग रही है। अवकाश के बाद सोमवार को कुछ मरीज अधिक हो गए थे, इसलिए लैब में कतार लगना स्वाभाविक है। सिंधम 7

स्वस्थ लोगों पर संक्रमण का खतरा

जिला अस्पताल की ओपीडी के पास ही कोरोना वैक्सीनेशन का सेंटर बना दिया गया है। यहीं पास में ही पर्ची भी कटती है। ओपीडी में लंबी कतार लगने के साथ ही वैक्सीनेशन के लिए भी लोग यहीं से आ-जा रहे हैं। उधर पर्ची के लिए भी लंबी कतार लगने से निकलने के लिए भी रास्ता नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में कोरोना का टीका लगवाने जाने वालों को भी बीमारी का खतरा बढ़ गया है।

सिंधम 7/9/21

प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन का प्रश्न

अगर शहरी कचरे का निस्तारण सही तरीके से हो, तो यह काम आसान हो सकता है। अप्रैल, 2016 में जब भारत में शहरी कचरे के निस्तारण से संबंधित कानून बना था, तो उसमें यह भी प्रावधान था कि प्लास्टिक उत्पादक छह माह की अवधि में प्लास्टिक के पुनर्चक्रण से संबंधित संयंत्रों की भी स्थापना करेंगे। बहरहाल, अब तक ऐसा कितने उत्पादकों ने किया होगा, यह सब जानते हैं। फिर प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण में कुछ तकनीकी समस्याएं भी हैं। किसी चीज का बढ़ता उपयोग उसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। मगर अर्थशास्त्री ग्रेशम का यह नियम भी ध्यान रखना चाहिए कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। भारत में प्लास्टिक का उपयोग बेतहाशा बढ़ने के पहले सामाजिक व सामुदायिक अवसरों पर जिन बर्तनों का उपयोग किया जाता था, वे अपशिष्ट नियंत्रण की चिंता पैदा नहीं करते थे। केवल उनका प्रबंधन करना होता था। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है।

अनुमान के अनुसार हर साल 80 लाख टन हानिकारक प्लास्टिक समुद्र में फेंक दिया जाता है, जो न केवल पारिस्थितिकी को परोक्ष रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि समुद्री जीव-जंतुओं के लिए भी जान का दुश्मन बन गया है। इसके अलावा प्लास्टिक से होने वाला 'माइक्रोस्कोपिक' प्रदूषण मिट्टी, हवा, पानी व भोजन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। लाने-ले जाने और पैकिंग में आसानी के कारण दुनिया भर में खाद्य पदार्थों को प्लास्टिक पैकिंग में देने की परंपरा बढ़ी है और यह पैकिंग उपयोगकर्ता के स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों से खिलवाड़ कर रही है। शायद यही कारण है कि अब विभिन्न देशों में इस आशय की मांग उठने लगी है कि अपने उत्पादों को प्लास्टिक पैकिंग में बेचने वाले उत्पादकों से उसका अतिरिक्त शुल्क वसूल किया जाए।

लगभग तैंतीस देशों में प्लास्टिक की विशिष्ट थैलियों पर प्रतिबंध है, पर प्रतिबंध के नियमों की पालना सुनिश्चित करने वाली एजेंसियों के ढुलमुल रवैए के कारण कानून अपना काम नहीं कर पा रहा है। फिर कुछ देशों में उत्पादकों ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के स्थान पर विशिष्ट प्रकार से बने प्लास्टिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस तरह वे कानून की पकड़ से तो बच गए हैं, प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर प्लास्टिक ही उपयोग कर रहे हैं। विकसित देशों में बुद्धिजीवियों के एक वर्ग ने कहा कि सामान्य प्लास्टिक के स्थान पर पेड़ों से तैयार किया जाने वाला 'जैविक प्लास्टिक' अधिक पर्यावरण अनुकूल हो सकता है। लेकिन अध्ययनों में पाया गया कि कुछ मायनों में जैविक प्लास्टिक

प्लास्टिक के प्रबंधन को लेकर प्रयास तो कई हुए हैं, लेकिन प्लास्टिक द्वारा पैदा होने वाले पर्यावरण संकट की तुलना में ये प्रयास पर्याप्त साबित नहीं हो रहे। केंद्र और कई राज्य सरकारों ने सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने सहित प्लास्टिक प्रबंधन के नियमों को कड़ा करने में भी रुचि दिखाई है। देखना यह है कि प्लास्टिक कचरे के जगह-जगह लगे ढेर मानवता के लिए चुनौती बने रहते हैं।

का प्रबंधन कृत्रिम प्लास्टिक से भी अधिक दुरूह और हानिकारक हो सकता है। पर्यावरण के लिए इसके अपने खतरे हैं ही।

प्लास्टिक, उत्पादों को पानी और नमी से बचाता है, वह हल्का होता है, अधिक टिकाऊ और कई विकल्पों की तुलना में अधिक सस्ता होता है। शायद यही कारण है कि बुद्धिजीवियों का एक वर्ग कहता है कि प्लास्टिक स्वयं में एक समस्या नहीं है, बल्कि उसका दुरुपयोग और उसके यथोचित प्रबंधन का अभाव समस्या है। अगर आबादी द्वारा फेंके जाने वाले कचरे का निस्तारण सही तरीके से हो और पुनर्चक्रण के लिए उपयोगी प्लास्टिक को छांट कर उसे उचित क्षेत्र तक पहुंचा दिया जाए तो प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन की चिंता से कुछ हद तक पार पाया जा सकता है। मगर दुनिया इस मामले में बहुत गंभीर दिखाई नहीं देती। इस मामले में भारत के आंकड़े आश्चर्यजनक रूप से अनेक तकनीक संपन्न देशों की तुलना में प्रभावशाली हैं।

पॉलीथिलीन टेराफ्थलेट नामक प्लास्टिक का उपयोग शीतल पेय बनाने वाली बोतलों के निर्माण में होता है और भारत में इन बोतलों के प्लास्टिक को नब्बे प्रतिशत की दर से पुनर्चक्रीकरण के माध्यम से काम में ले लिया जाता है, जबकि जापान जैसे देशों में यह दर 72.1 प्रतिशत, यूरोप में 48.3 प्रतिशत है। दरअसल, भारत में कचरा बीनने वालों को इन बोतलों की छंटाई से कुछ आय हो जाती है और वे गली गली में घूम कर शीतल पेय की बोतलों को एकत्र कर लेते हैं। वहां से ये बोतलें एक असंगठित तंत्र द्वारा पुनर्चक्रीकरण के लिए पहुंच जाती हैं। इनसे पालिएस्टर और डेनिम जैसे उत्पाद बनते हैं। इस दृष्टि से, साधारण से दिखने वाले कचरा बीनने वाले और कबाड़ का व्यापार करने वाले, दरअसल कथित संभ्रांतों की तुलना में पर्यावरण संरक्षण में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

गर शहरी कचरे का निस्तारण सही तरीके से हो, तो यह काम आसान हो सकता है। अप्रैल, 2016 में जब भारत में शहरी कचरे के निस्तारण से संबंधित कानून बना था, तो उसमें यह भी प्रावधान था कि प्लास्टिक उत्पादक 6 माह की अवधि में प्लास्टिक के पुनर्चक्रण से संबंधित संयंत्रों की भी स्थापना करेंगे। बहरहाल, अब तक ऐसा कितने उत्पादकों ने किया होगा, सब जानते हैं। फिर प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण में कुछ तकनीकी समस्याएं भी हैं। मसलन, प्लास्टिक पैकिंग में काम आने वाले तरह तरह के प्लास्टिक। इन विविध किस्म के प्लास्टिक का उपयोग उत्पाद को अलग स्तर पर सुरक्षा देने के लिए होता है। इन सबका निस्तारण एक ही तरीके से नहीं हो सकता। थर्मोप्लास्ट को पिघला कर उसकी विशेष किस्म की ईंटें बनाई जाती हैं, जिनका उपयोग सीमेंट संयंत्रों में ईंधन के तौर पर होता है। लेकिन प्लास्टिक का जलाया जाना तो हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करेगा ही।

इन ईंटों के उपयोग को अगर हानिरहित करना हो, तो उनका उपयोग एक हजार डिग्री सेल्सियस तापमान पर करना होता है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में ही 2017 में 65 लाख टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन हुआ। समुचित चेतना, दृढ़ इच्छाशक्ति और पर्याप्त साधनों के बिना इतनी बड़ी मात्रा में इस प्लास्टिक का निस्तारण संभव नहीं है। मदुरै के आर. वासुदेवन ने इस संबंध में देश और दुनिया को एक राह दिखाई है। 2001 में उन्होंने प्लास्टिक कचरे की मदद से सड़कें बनाने की एक परियोजना पर काम शुरू किया और 2006 में अपने इस काम का पेटेंट भी प्राप्त कर लिया। आर. वासुदेवन की सड़कें एक साथ दो समस्याओं का समाधान करती हैं। वे न केवल प्रबंधन का रास्ता बताती हैं, बल्कि सड़कों पर बार-बार पड़ने वाले गड्ढों की समस्या से भी आदमी और तंत्र को निजात दिलाती हैं, क्योंकि ये सड़कें जल प्रतिरोधक होती हैं और बनाए जाने के बरसों बाद भी गड्ढे नहीं पड़ते।

इस दृष्टि से वे परंपरागत कोलतार या गिट्टी-सीमेंट से बनी सड़कों की तुलना में बहुत मजबूत पाई गई हैं। निकटवर्ती देश भूटान में भी उनकी तकनीक का उपयोग कर अनेक सड़कों का निर्माण कराया गया है और इन सड़कों को गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत टिकाऊ पाया गया है। मगर बार-बार सड़क निर्माण और सड़क मरम्मत के काम पाने वाले ठेकेदार और उनके हितैषी अफसरों के अड़ंगे के कारण यह प्रयोग अब भी देश में बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाया है। पर यह प्रयोग देश और दुनिया को प्लास्टिक कचरे के निस्तारण की चिंता से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

अतुल कनक

२१५

जर नहीं आ
लेने के
ा। अपनी
ा से कार्य
ुषोत्तम ने
निरीक्षकों
की भी
यता के

समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न

प्रणाली में सुधार करें, सक्रियता से करें काम

बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षीसिंह, जिला वन मंडलाधिकारी डूडवे, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम एम.एल. आर्य, अभिषेक गहलोत, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए कि वे खाद्य सामग्री के नमूने लेने के कार्य में तेजी लाएं।

कलेक्टर द्वारा इस सप्ताह भी समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाने की सघन समीक्षा की गई। रतलाम शहर में धीमी प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। एसडीएम तथा निगमायुक्त को तेजी लाने के निर्देश दिए। जनपद पंचायतों में

प्रतिदिन 1000 कार्ड तथा नगरीय निकायों में प्रतिदिन 500 कार्ड बनाने के निर्देश दिए। जिला चिकित्सालय सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने बताया कि चिकित्सालय की ओपीडी में 162 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। पात्र हितग्राहियों के आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने से आधार लाकर कार्ड बनवाने हेतु कहा गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ओपीडी में आयुष्मान कार्ड बनाने की सूचना देने वाला बोर्ड लगाएं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा कलेक्टर द्वारा की गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विद्युत वितरण कंपनी को लंबित शिकायतों का निराकरण कर 90-90 अंक लाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार राजस्व तथा खाद्य विभाग को 75-75 अंक लाने के निर्देश दिए। सीईओ जिला पंचायत को 85 अंक लाने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि जिले के किसी भी विभाग की रैंकिंग 20 से नीचे नहीं हो।

जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव आयोजित किया जाएगा। आयोजन तैयारियों के संबंध में कलेक्टर द्वारा सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया। जनप्रतिनिधियों, सतर्कता समिति के सदस्यों, आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों को बुलाकर उपभोक्ताओं को राशन वितरण कराया जाना है। यह सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम 25 प्रतिशत उपभोक्ताओं को उत्सव कार्यक्रम में ही राशन का वितरण हो जाए। जिले में कराए गए वृक्षारोपण की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि नगरीय निकायों में 28785 पौधों का रोपण किया गया है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध बैंकों में प्रस्तुत तथा स्वीकृत प्रकरणों की समीक्षा की गई।

प्रसार०।

प्रसार०। 8/9/21

पशु पालकों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस मिली जिलाधीश एवं निगमायुक्त से

सिंधम रिपोर्टर ❑ रतलाम

विगत दिनों निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा शहर के मध्य निजी भूमि पर बने हुए पशुपालन केंद्र (तबेले)को हटाने का काम शुरू किया गया।

हटाने के पीछे निगम द्वारा यह तर्क दिया गया किंतु बिलों की गंदगी से शहर में डेंगू रानी बीमारी फैल रही है बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक कार्रवाई से पशुपालकों की कमर टूट गई है। इसी बात को लेकर आज पशु पालक जिला शहर कांग्रेस के नेतृत्व में जिलाधीश एवं निगम आयुक्त से मिले। एक ज्ञापन जिला प्रशासन, निगम प्रशासन के नाम पर उपायुक्त विकास सोलंकी को दिया गया।

ज्ञापन में मांग की गई है कि अचानक हुई इस कार्रवाई को रोका जाए और कम से कम एक वहां की समय अवधि स्थानांतरित करने के लिए दी जाए क्योंकि दूध एक आवश्यक सेवा के अंतर्गत आता है एवं दुधारू पशुओं को स्थान पर इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता है इसलिए समय देना आवश्यक है साथ ही जिला प्रशासन से मांग की गई है कि शहर के बाहर कोई भी शासकीय भूमि निर्धारित मूल्य लेकर आवंटित की जाए जिससे वह अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला सके।

इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, शांतिलाल वर्मा, रजनीकांत व्यास, रामचंद्र धाकड़ पूर्व पार्षद गणेश यादव, कमरुद्दीन कछवाहा, हितेश पेमाल के साथ बड़ी संख्या में पशुपालक उपस्थित थे। सिंधम 7

सिंधम 7/9/21

3 दिन में शहर को 100% वैक्सीनेटेड करने की तैयारी

बचे हुए लोगों की सूची तैयार, स्पेशल कैंप लगेंगे, इस टारगेट के बाद दूसरे डोज पर फोकस करेंगे

भास्कर संवाददाता | रतलाम

शहर को 100% वैक्सीनेटेड करने की तैयारी हो गई। सब कुछ ठीक रहता है तो अगले 3 दिन में परिणाम भी दिख जाएगा। बचे हुए लोगों की बीएलओ ने सूची तैयार कर ली है। कलेक्टर के प्लान के मुताबिक अब इन लोगों पर ही आगामी 3 दिन फोकस किया जाएगा, इसके बाद दूसरे डोज पर फोकस होगा।

शहर एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने बताया रतलाम शहर में अब तक ज्यादातर लोगों को पहला डोज लग चुका है। 8 सितंबर को शहर में कोविशील्ड का प्रथम डोज काश्यप सभागृह, सागोद रोड, कम्युनिटी हॉल अलकापुरी व जिला चिकित्सालय में लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में मतदान केंद्रवार चार दल भी वैक्सीनेशन करेंगे। यदि कोई वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहा है तो वह अपने बीएलओ के माध्यम से संपर्क कर मोबाइल वैक्सीनेशन फैसिलिटी का लाभ ले सकता है। इसके अतिरिक्त न्यू कलेक्टोरेट भवन में अधिकारी, कर्मचारी उनके परिवारों एवं विदेश जाने वालों के लिए कोविशील्ड का प्रथम और द्वितीय डोज लगाया जाएगा। इसके साथ ही को-वैक्सीन का पहला और दूसरा डोस आईएमए हॉल राजेंद्र नगर रतलाम में लगाया जाएगा।

शहर, आलोट और जावरा में 45+ के 90% से ज्यादा वैक्सीनेटेड

अब पहले डोज के लिए बहुत ही कम लोग पहुंच रहे हैं। कारण है कि ज्यादातर लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। रतलाम शहर में 45+ के 98.41% लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं तो वहीं, 18+ में 88.92 लोगों को वैक्सीन लग गई है। सभी वर्गों की बात की जाए तो रतलाम में 92.54% लोग वैक्सीन का पहला डोज लगवा चुके हैं। अब तक 9.02 लाख लोगों को वैक्सीन लग गई है। रतलाम के साथ ही आलोट में 45+ के 97.09 और जावरा में 90.48% लोगों को वैक्सीन लगी है। इसके अलावा सभी ब्लॉक में 90 प्रतिशत से कम ही टीकाकरण हुआ है। सभी वर्गों में अभी सबसे कम वैक्सीनेशन बाजना में 58.01% हुआ है।

कहां कितना वैक्सीनेशन

आलोट	85.57%
बाजना	58.01%
जावरा	88.65%
पिपलौदा	74.44%
सैलाना	67.15%
रतलाम ग्रामीण	79.06%
रतलाम शहर	92.54%

पटवारी व पंचायत सचिव निलंबित

7 सितंबर को जिला पंचायत सीईओ मीनाक्षी सिंह ने वैक्सीनेशन केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान इंदिरावल खुर्द में ड्यूटी से अनुपस्थित मिलने पर पटवारी समता मांगरिया को निलंबित किया गया। वहीं, राष्ट्रीय महत्त्व के कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर ग्राम अडवानिया के पंचायत सचिव सुखलाल खराड़ी को निलंबित किया गया है।

दै. भास्कर 8/9/21

तीन दिन शहर में शत-प्रतिशत लोगों को पहली डोज लगाने का लक्ष्य

रतलाम। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में शत-प्रतिशत लोगों के वैक्सीनेशन पर फोकस किया जा रहा है। रतलाम शहर में अगले तीन दिन शेष बचे लोगों को पहली डोज लगाई जाएगी। उसके बाद दूसरी डोज पर फोकस किया जाएगा। एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने बताया कि शहर में अब तक अधिकांश लोगों को पहली डोज लग चुकी है। शेष बचे लोगों को बीएलओ के माध्यम से चिन्हित कर लिया गया है। जिन लोगों की अभी प्रथम डोज बची है, उनके लिए विशेष सत्र स्थल निर्धारित कर किए गए हैं। आठ सितंबर को शहर में कोविशील्ड का प्रथम डोज काश्यप सभागृह, सागोद रोड, कम्युनिटी हाल अलकापुरी व जिला चिकित्सालय पर लगाया जाएगा। शहर में मतदान केंद्रवार चार दल भी वैक्सीनेशन करेंगे। यदि कोई व्यक्ति वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहा है तो वह अपने बीएलओ के माध्यम से संपर्क कर मोबाइल वैक्सीनेशन फैसिलिटी का लाभ ले सकता है। इसके अतिरिक्त न्यू कलेक्टोरेट भवन में अधिकारी-कर्मचारी उनके परिवारों व विदेश जाने वालों के लिए कोविशील्ड का प्रथम और द्वितीय डोज लगाई जाएगी।

नईदुनिया 8/9/21

17 सितंबर को फिर चलेगा टीकाकरण महाअभियान

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी के अनुशासन और जज्बे से प्रदेश में चार करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। सितंबर माह तक सभी पात्र नागरिकों को टीके की पहली डोज लगवाने के लिए हम कटिबद्ध है। मध्य प्रदेश शत-प्रतिशत टीकाकरण के पथ पर मजबूती से अग्रसर है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जन्मतिथि पर फिर टीकाकरण महाअभियान चलेगा। - भूरा

लीज भूमि पर बनी 'द्वारका', फिर भी जारी हो गई अनुमति

मनमर्जी का निर्माण

द्वारका रेसीडेंसी का गड़बड़झाला

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर के चेतन ब्रिज के करीब बन रहे द्वारका रेसीडेंसी के मामले में नीत नए खुलासे हो रहे हैं। द्वारका कर जिस सर्वे नंबर पर निर्माण हुआ है, वो लीज की भूमि है व 1944 में तत्कालीन समय में जग्गनाथ आत्माराम को दी गई थी। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में पूर्व में शिकायत भी हुई, लेकिन जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम तक अब तक बड़ी कारवाई के लिए मुहूर्त का इंतजार ही कर रहा है।

सर्वे नंबर 43-1131 की 3 बीघा 163-4 बिस्वा भूमि 2 दिसंबर 1944 को लीज पर दी गई थी। इसके बाद तत्कालीन समय में नगर पालिका के पार्षद ठहराव क्रमांक 2, 7 नवंबर 1959 को 8736 वर्गफीट भूमि तत्कालीन नगर सुधार न्यास ने दी। जब यह दी गई, इसके बारे में 12 नवंबर 1965 को विशेष पदाधिकारी ने जानकारी मांगी तो उनको नगर सुधार न्यास ने जानकारी देते हुए सबसे अंत में लिखा कि यह भूमि नगर सुधार न्यास के स्वामित्व की है व इसकी लीज राशि वसूली जा रही है। इस पर तत्कालीन नगर सुधार न्यास के सहायक शिल्पज्ञ व सचिव के हस्ताक्षर भी है। यह पत्र जांच में भी आया है।

1944 से ही यह सर्वे नंबर की भूमि लीज पर

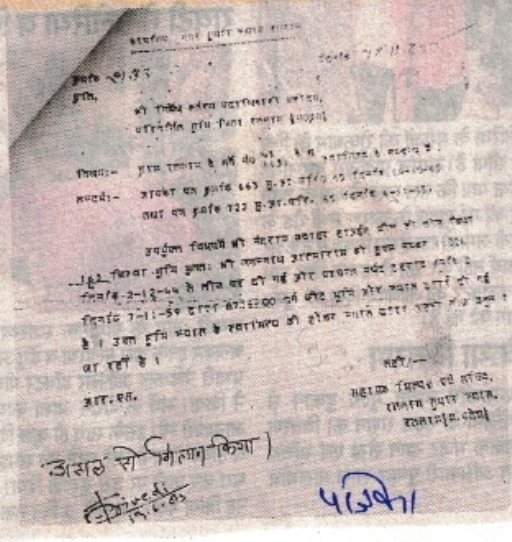

नजूल ने दिया अनापत्ति प्रमाण पत्र

दस्तावेज बताते है कि जिस सर्वे नंबर 43-1131 का मालिक नजूल नहीं था, उसने द्वारका रेसीडेंसी के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र 11 जनवरी 2019 को जारी कर दिया। इसके लिए भूमि स्वामियों द्वारा आवासीय व व्यवसायीक निर्माण की अनापत्ति मांगी गई थी।

पूर्व के दस्तावेज देखें भी नहीं

बताया जा रहा है कि निर्माण के लिए नजूल ने पूर्व के दस्तावेज को देखना तक जरूरी नहीं समझा। बल्कि इस बात का उल्लेख भी कर दिया कि यह भूमि सर्वे नंबर निजी स्वामित्व का है व नगर सुधार न्यास की भूमि आगे है।

पत्रिका 8/9/21